भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2983

12 माच, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष पाठ्यक्रम हेतु एनईईटी परीक्षा

2983. सुश्री सुनीता दुग्गल:

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने का कृपा करगे किः

(क) क्या देश म आयुष के लिए कोई पाठ्यक्रम महाविद्यालयों म शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा उन कॉलेजों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्थान-वार सूची क्या है जिनम वर्तमान म आयुष के पाठ्यक्रम उपलब्ध ह;

(ग) आयुष पाठ्यक्रम म प्रवेश लेने के लिए क्या पात्रता मानदंड ह;

(घ) क्या जिन छात्रों ने नीट (एनईईटी) परीक्षा उत्तीण का है उन्ह आयुष पाठ्यक्रमों म प्रवेश लेने का अनुमति दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह?

उत्तर

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

और आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): शैक्षिक वष 2020-21 के लिए एएसयू एंड एच कॉलेजों हेतु अनुमति के ब्यौरे पब्लिक डोमेन म उपलब्ध ह और https://main.ayush.gov.in/event/list-permitted-asuh-colleges म देखे जा सकते ह।

(ग): अभ्यर्थी द्वारा संबंधित राज्य सरकार और शिक्षा बोड द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट (10+2) अथवा इसके समकक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तीण की होनी चाहिए और सामान्य श्रेणी के मामले म उपयुक्त योग्यता परीक्षा म भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान म समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंक और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के मामले म 40% अंक प्राप्त किए होने चाहिए। दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत विनिदिष्ट दिव्यांगजनों के संबंध म भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के उक्त योग्यता परीक्षा म सामान्य श्रेणी के मामले म न्यूनतम योग्यता अंक 45% और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के मामले म 40% होंगे।

(घ): कद्र सरकार द्वारा पद नामित प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक शैक्षिक वष के लिए स्नातकपूव आयुवद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु एकसमान प्रवेश परीक्षा नामतः राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) संचालित की जाती है।

(ड.): किसी शैक्षिक वष के लिए स्नातकपूव एएसयू एंड एच पाठ्यक्रम म प्रवेश हेतु पात्रता के लिए, उक्त शैक्षिक वष के लिए स्नातकपूव पाठ्यक्रम हेतु हुए, एनईईटी म किसी अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत तक न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवाय है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होंगे। दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्धारित बचमाक दिव्यांगता विशिष्ट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के मामले म 40 प्रतिशत होंगे।

*****